Within the constraints of budgetary resources, Government has been providing support to the loss making fertilizer PSUs to enable them to meet their working capital requirements and/ or critical capital expenditure. In 1997-98, the budgetary support extended to the PSUs has been as follows:

(Rs. in Crore)

SI.No.	Name of PSUs	1997-98
1.	HFC	184.34
2.	FCI	318. IS
3.	PPL	15.00
4.	PPCL	6.00
5.	PDIL	2.00
6.	FACT	37.88

Disinvestment of shares In profit-making Pubik Sector Units

1823. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to disinvest the profit making public sector units;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether FACT Udyogamandal (Kerala) has been enlisted for disinvestment; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) to (d) The Government has referred 50 Public Sector Enterprises to the Disinvestment Commission for consideration. These included profit making enterprises as well as those which have been incurring losses. The Commission has so far given its recommendations in respect of 41 of these Public Sector Enterprises including Fertiliser and Travancore Limited (FACT). The recommendations of the Commission are advisory in nature. The decision of the Government on the recommendations of the Commission will be taken keeping all aspects in view.

Import of Bulk Drugs

1824. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are importing bulk drugs;

(b) if so, since when and the amount of bulk drugs imported during last three years; and

(c) the year-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A. K. PATEL): (a) to (c) No, Sir.

भारत-ओमान संयुक्त उर्वरक परियोजना

1825. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**:

श्री गोपालसिंह जी . सोलंकी:

क्य रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विगत एक माह से अंग्रजी दैंनिक "दि पॉयनियर" में भारत-ओमान संयुक्त उर्वरक परियोजना से संबंधित प्रकाशित हुए समाचारों की ओर दिलाल्या गया है, जिनमेन बड़े पैमाने पर हुए वित्तिय गबन तथा घोटालों का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) इन समाचारों के प्रति अब तक सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग़) क्या सरकार ने इस प्रकरण की कोई उच्च-स्तरीय जांच करायी है अथवा करायी जा रही है' और

(घ) क्या सरकार ने उच्च संयुक्त परियोजना से संबंधित सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखने का कोई निर्णय लिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल): (क) और (ख) सरकार का ध्यान हाल ही में "पायनियर" में प्रकाशित समाचार कि ओर दिलाया गया है जिसमें ओमान इंडियन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट (ओआईएफसी) के लिए इन्जीनियरिंग़, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) ठेके हेतु वरीय बोलीदाता के चयन में अनियमितताओं तथा परियोजना

लागत में 1000 करोड़ रू. की बढोतरी के आरोप लगाये गये है। इस बारे में प्रासंगित तथ्य नीचे दिय गये है:—

ओमान में संयुक्त उद्यम परियोजना की कल्पना पारस्पतिक लाभ के आधार पर की गई है । राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर (आरसी एफ) तथ कृषक भारती कोपरेटिव लिमिटेड (कृभको) भारत की तरफ से तथा ओमान ऑयल कम्पनी (ओ.ओ.पी.) ओमान की तरफ से परियोजना में समान भागीदार है । फरवरी 1998 में संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे. वी. एम.) द्वार लिए जाते थे, जिसमें भारत और ओमान का समान प्रतिनिधित्व था । तब से, संयुक्त उद्यम परियोजना से सम्बन्धित सभी निर्णय जे.वी. सी. बोर्ड द्वारा लिए जा रहे है जिसमें भी दोनो पक्षो का समान प्रतिनिधित्व है ।

जे. एम. सी . द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बोलू आमंत्रीत करके एकमुशन टर्न की आधार पर ई. पी. सी. ठेका अवार्ड करने का निर्णय लिया गया था।

ये बोलीदाता जे. एम. सी . द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के आधार पर अन्तराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त परमर्शदाता मै. जेम्स केमिकल्स एण्ड इन्जीनियरिग, अमेरिका द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त थे ।

बोलिया तीन भागों में आमंत्रित की गई थी — तकनीकि, अमूल्यांकित वाणिज्यिक और मुल्यांकित । नोटिस आमंत्रण निविदा (एन. आई. टी.) की तैयारी और तकनीकि-सह-अमूल्यांकित वाणिज्यक बोलियों का मुल्याकंन अंतराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त परमर्शदाता मै. जैकब इन्जीनियरिंग द्वारा भी किया गया था।

पूर्व योग्यता प्राप्त बोलीदाताओं से सितम्बर / अक्तुबर 1995 तक बोली प्राप्त हुई थी। तकनीकी-सह-अमूल्यांकित वाणिज्यिक बोलियओं का मुलाकंन मै. जैकब इन्जीनियरिंग द्वार किया गया था और मार्च 1996 में प्रस्तुत की गई अपनी मुल्याकंन रिपोर्ट में मै. जैकब इन्जीनियरिंग के सभी तीनों बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य बताया। पार्टियों की तकनीकी योग्यता के संम्बन्ध में किसी भी बोलीदाता ने कोई आपत्ति नहीं उठाई ।

वरीय बोलीदाता के चयन हेतु मुल्याकिंत बोलियों का मूल्यांकन इस परियोजना के वित्तिय सलाहकार मै. लेजार्ड ब्रदर्स के परामर्श से किया गया था और इस कार्य में मै. जैकब इन्जीनियरिंग द्वारा समर्पित एक विशेषज्ञ की तकनीकी सहायत ली गई थी।

बोली मूल्याकंन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रक्रिया कि उपयुक्तता, पूर्णत और औचित्य की सुरक्षा की सुरक्षा की दृष्टि से जेएमसी द्वारा वित्तिय सलाहकार के कार्य पर निगरानी रखने तथा वरीय बोलीदाता के चयन की सिफारिश करने हेतु एक द्विस्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था।

वित्तिय सलाहकार/ मूल्याकंन समिति की सिफारिशों के आधार पर जेएमसी फरवरी 1997 में वरीय बोलीदाता के रूप में मै. स्त्रैमप्रोगेटी एंड टेकनिप सहायता संघ का चयन करने का निर्णय लिया क्योंकि उनकी अन्ततः मूल्यांकित बोली 18 मिलियन अमरीकी डालर थी जो क्रुप — ऊचे (यूएचडीई) सहायता संघ अर्थात अगले उच्च बोली दाता से कम थी।

इस निर्णय से खिन्न ऊद्ये ने भारत सरकार को अभ्योजन किया औत बोलियों के पुनर्मूल्याकंन का आग्रह किया। इस मामले पर विचार करने पर सरकार ने पाया कि जेएमसी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है और अप्रैल 1997 में तदनुसार, यूएचडीई को बता दिया।

लेकिन ऊद्ये (यूएचडीई) ने अपने अभ्यावेदनों पर दृढ रही। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह मामला विचार करने हेतु अन्ततः जेएमसी को भेज दिया गया था। जेएमसी ने सितम्बर 1997 में ऊद्ये के अभ्याबेदन की जांच की और निर्णय किया कि पूर्व में लिये गये निर्णय को बदलने का कोई आधार नहीं था।

ओआईएफपी के लिए वर्रीय ईपीसी बोलिदाता के चयन से सम्बन्धित सभी पहलुओम पर सरकार द्वारा परियोजना हेतु दिसम्बर 1997 में दिये गये निवेश अनुमोदन के संदर्भ में विचार किया गया था।

विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट में आंकलित 1106 मिलियन अमरिकी डालर की परियोजना लागत की जांच निवेश अनुमोदन के संदर्भ में कि गई है । संयंत्र और मशीनरी के लिए ईपीसी ठेके की लागत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर निकासी गई है और यह लागत निवेश अनुमोदन के लिए ओआईएफपी की अमोनिया और यूरिया की उच्च क्षमता हेतु किये जा रहे समायोजनों और ओआईएफपी मेम मुहैया प्रेनुलेशन, डिसेलिनेशन, जेटि और बल्क हैंडलिंग के लिये अतिरिक्त सुविधाओं के लिये विचार की गई नवीनतम ग्रास रूट यूरिया परियोजना की संयंत्र और मशीनरी की लागत के तुल्य है।

चूंकि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ओआईएफपी के लिए वरीय ईपीसी बोलीदाता का चयन जेएमसी द्वारा विस्तृत अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात फरवरी, 1997 में किया गय था। यह मूल्याकंन यथार्थ मूल्याकंन मानकों पर आधारित था और स्वतंत्र तकनीकी और वित्तिय सलाहकारों की सहायता से किया गया था। संयुक्त उद्यम के भारतीय भागीदारों द्वारा निवेश के लिये सरकार का अनुमोदन, इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात दिसम्बर, 1997 में प्रदान किया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

Units engaged in production of Chemicals Insecticides

1826. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number of manufacturers item-wise of chemical insecticides in the country alongwith the details of quantum of production and the value of these products during the year 1997-98;

(b) the cost of import of ingredients being used in the manufacture of these insecticides; and

(c) the value of other insecticides imported and exported during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILZIERS (DR. A.K. PATEL): (a) Most of the insecticides have been delicensed w.e.f. August, 1991. More than 125 units in the organised sector are engaged in the manufacture of more than 60 Technical Grade Pesticides in the country. As per the provisional information available with the Department the production of Technical Grade Pesticides during 1997-98 is around 82,000 metric tonnes.

(b) and (c) Since there is no Central data monitoring, the exact cost of import of ingredients for manufacture of Insecticides can not be ascertained. The details of export & import of insecticides arc as follows:

Exports	(Rs./Crores)
1996-97 1997-98	658
Imports 1996-97	588 (Prov)
1997-98	120 56 (Prov)

SOURCE: DGC1S

Decline in the demand of Caustic Soda

1827. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demand of Caustic Soda and its allied products in declining since last two years;

(b) whether it is also a fact that considering the market demand, there should have been a growth of 5%, if so the reasons therefor; and

(c) whether free import or reduction of import duty has affected the 5000 crore industry manufacturing the Caustic Soda and allied products?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) The demand of Caustic Soda and Chlorine, a by-product, depends on the growth of consuming industries namely paper, dyes, pesticides etc. in which the , growth during last 2 years has not been significant due to various factors.

(c) Import duty on basic chemicals including Caustic Soda was reduced from 40% to 30% in 1995-96 as part of the general policy of the Government. However, the import of Caustic Soda has no significant effect on the Caustic Soda industry in the country as imports constitute only 5% to 6% of the tofal domestic production.